

कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) लूणकरणसर

निर्णय

मिसल नम्बर - 20 / 2019

दिनांक - 07/6/2019.

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ~~शिवपुर~~ रिपोर्ट (पी-14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि फसल खरीफ सम्बन्ध 2015 में गैर सायल ~~चे.रा.रा.रा.~~ पुत्र श्री ~~मे.रा.रा.रा.~~ जाति ~~मे.रा.रा.रा.~~ साकिन ~~रा.रा.रा.~~ ने ग्राम ~~रा.रा.रा.~~ के ख0न0 ~~130~~ रकबा ~~0.024~~ में नाजायज ~~रा.रा.रा.~~ अतिक्रमण किया है। अप्रार्थी ~~चे.रा.रा.रा.~~ को राजभू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस प्रकरण दर्ज कर जारी किया गया जो कि बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। संबंधित गैर सायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि संतोषप्रद नहीं होने के कारण गैर सायल श्री ~~चे.रा.रा.रा.~~ पुत्र श्री ~~मे.रा.रा.रा.~~ जाति ~~मे.रा.रा.रा.~~ साकिन ~~रा.रा.रा.~~ को ग्राम ~~रा.रा.रा.~~ के ख0न0 ~~130~~ रकबा ~~0.024~~ में अतिचार करने पर राजभू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है, तथा भू-राजस्व दर ~~0.024~~ का 50 गुणा ~~0.2~~ रूपये शास्ति से दण्डित किया जाता है तथा मौके से बेदखली करने के आदेश दिये जाते हैं।

बेदखली बाबत संबंधित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा तावान वसूली बाबत पटवारी हल्का को तथा मांग कायमी बाबत टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक ~~07/6/2019~~ को खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

3
तहसीलदार (राजस्व)
लूणकरणसर